रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 1991/श्रावण 15, 1913
No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 1991/SRAVANA 15, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1990

का.नि.आ. 5(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायु सेना नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुसेना (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुसेना नियम, 1969 में,—

(1) नियम 24 के उपनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:—

"9(क) अभियुक्त का कमांग आफिसर, स्वहस्ताक्षरित आदेश दे कर, किसी ऐसे साक्षी को, जो वायु सेना विधि के अध्यधीन नहीं है, उपनियम (1) के अधीन आरोप की सुनवाई में हाजिर होने के लिए या उपनियम (4) के अधीन साक्ष्य के लिखे जाने के प्रयोजन के लिए स्थगित सुनवाई में हाजिर होने के लिए समन कर सकेगा।

(ख) समन तीसरी अनुसूची में दिए गए प्ररूप 'ग-1' में होगा"।

(2) नियम 66 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"66क. अभियुक्त का प्रतिरक्षण के लिए सक्षम साक्षी होना—कोई भी व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी सेना-न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षण के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए साक्ष्य, शपथ या प्रतिज्ञान पर दे सकेगा:

परन्तु—

(क) वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना पर के सिवाय साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा, अथवा

(ख) उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका-टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न उसके उससे विरुद्ध, या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही उदभूत होगी"।

(3) नियम 87 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् —

"87-क सेना न्यायालय लोक के प्रवेश के लिए खुले होंगे— नियम 87 के अधीन रहते हुए, वह स्थान, जिसमें कोई सेना-न्यायालय अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण करने के प्रयोजन के लिए अधिविष्ट होता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें साधारण लोक जहां तक सुविधापूर्वक वह उसमें समा सकें, प्रवेश कर सकेंगे

परन्तु यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि लोकहित में या न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो न्यायालय किसी विशिष्ट मामले के विचारण के लिए किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि साधारण लोक या उसका कोई प्रभाग मे आदेश दे सकेगा कि साधारण लोक न्यायालय अधिविष्ट है, प्रवेश नहीं करेगा, या न होगा या अलग न रहेगा।"।

(4) नियम 142 के नीचे की सारणी में, नियम 87 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"नियम 87 क. सेना न्यायालय लोक के प्रवेश के लिए खुले रहेंगे।"।

(5) तीसरी अनुसूची में, प्ररूप 'ग-1' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् —

'प्ररूप ग-1'

कमान आफिसर द्वारा आरोप की सुनवाई के समय उपस्थित रहने के लिए या साक्ष्य का संक्षेप लिए जाने के समय उपस्थित रहने के लिए किसी साक्षी को समन करने का प्ररूप

प्रेषिती——

————————————————————

(क) सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध के किए जाने के संबंध में (ख) संख्यांक——————रैंक—————— नाम——————————यूनिट—————— के विरुद्ध आरोप मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और मैंने निदेश दिया है कि आरोप की सुनवाई या (ग) लिखित रूप में साक्ष्य का संक्षेप —————————— (स्थान) में (घ) तारीख——————को—————— बजे ——————की जाए या लिया जाए। अत, अब वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 134 और वायु सेना नियम, 1969 के नियम 24 के उपनियम (9) का अनुसरण करते हुए, मैं आपको समन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उक्त स्थान और समय पर उक्त आरोप की सुनवाई के समय या (च) उक्त साक्ष्य का संक्षेप लिए जाने के समय साक्षी के रूप में हाजिर रहें और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेजों, अर्थात—————— (छ) लाए। इसमें असफल रहने पर आप संकट में पड़ सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर से तारीख को दिया गया।

हस्ताक्षर

नाम

रैंक और यूनिट

अभियुक्त का कमान आफिसर

(क) उस व्यक्ति का नाम और पता लिखें, जिसको समन भेजा जाना है।

(ख) अभियुक्त का संख्यांक, रैंक, नाम और यूनिट लिखें।

(ग) किसी एक प्रयोजन को काट दें।

(घ) वह स्थान लिखें, जहां आरोप की सुनवाई होनी है या जहां साक्ष्य का संक्षेप लिया जाना है।

(ङ) पूर्वाह्न या अपराह्न विनिर्दिष्ट करें।

(च) किसी एक प्रयोजन को काट दें।

(छ) दस्तावेज (यदि कोई हों) विनिर्दिष्ट करें, जिन्हें साक्षी को लाना है (अन्यथा काट दें)

टिप्पण——समन की तामील वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 134 में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी।"

[फा सं वायु 25503/5/नीयंत्र(एम एफ)/2708/यूएस/डी (एयर-III)]

उरमिला सुब्बाराव, निदेशक (वायु II)

टिप्पण: मूल नियम 1969 के भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-4 में का.नि.आ. 310 दिनांक 24-9-1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए——

1. का.नि.आ. 358 दिनांक 8-7-1970
2. का.नि.आ 83 दिनांक 19-12-1971
3. का.नि.आ. 24(अ) दिनांक 15-6-1974
4. का.नि.आ. 186 दिनांक 2-7-1982 तथा
5. का नि.आ. 68 दिनांक 20-1-1986

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1990

SRO 5(E).—In exercise of the powers conferred by section 189 of the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Air Force Rules, 1969, namely :—

1 (1) These rules may be called the Air Force (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Air Force Rules, 1969,

(1) for sub-rule (9) of rule 24 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(9) (a) Any witness who is not subject to the air force law may be summoned by order under the hand of the Commanding Officer of the accused to attend the hearing of the charge under sub-rule (1) or to attend the adjourned hearing for the purpose of having the evidence reduced to writing under sub-rule (4).

(b) The summons shall be in Form 'C1' as provided in the Third Schedule".

(2) after rule 66, the following rule shall be inserted, namely :—

"66-A. Accused Competent witness for Defence—A person accused of an offence before a court martial shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath or affirmation in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial :

Provided that —

(a) he shall not be called as a witness except on his own request in writing; or

(b) his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial".

(3) after rule 87, the following rule shall be inserted, namely :—

"87-A. Courts Martial to be public:—Subject to Rule 87, the place in which a Court Martial is held for the purpose of trying an offence under the Act shall be deemed to be an open court to which the public generally may have access, so far as the same can conveniently contain them :

Provided that, if the court is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest or for the ends of justice so to do, the court may at any stage of the trial of any particular case order that the public generally or any portion thereof or any particular person shall not have access to, or be or remain in the place in which the court is held".

(4) in the table below rule 142, after Rule 87, the following shall be inserted, namely :—

"Rule 87A. Court Martial to be public".

(5) in the Third Schedule, for Form "C1", the following form shall be substituted, namely :—

Form C-1

Form of summons to a witness to attend the hearing of the charge by the Commanding Officer or to attend the the taking of a Summary of Evidence.

TO . . . . . .

(a) whereas a charge for having committed an offence triable by Court Martial has been preferred before me against.

(b) Number . . Rank . . . . Name . . . . . Unit . . . . . and whereas, I have directed the hearing of the charge to take place or (c) a Summary of Evidence to be taken in writing at (place) . . . . . (d) on the . . . . . day of 19 . . . . . at . . . . . O'Clock (e) . . . . . noon. Now, therefore, in pursuance of section 134 of the Air Force Act, 1950 and sub-rule (9) of rule 24 of Air Force Rules, 1969, I do hereby summon and require you to attend as a witness the hearing of the said charge or (f) the taking of the said summary of evidence at the said place and hour and to bring with you the documents hereinafter mentioned namely . . . . . (g) whereof you shall fail at your peril. Given under my hand at . . . . . the . . . . . day of . . . . . 19 . . . . . .

Signature
Name
Rank and Unit
Commanding Officer of the accused.

(a) Insert the name and address of the person to whom the summons is to be sent.

(b) Insert the number, rank, name and Unit of the accused

(c) Delete one of the purposes.

(d) Insert the place where hearing of the charge is to take place or the Summary of Evidence is to be taken.

(e) Specify forenoon or afternoon.

(f) Delete one of the purposes.

(g) Specify the documents (if any) which the witness is to bring (otherwise delete)

Note : The summons shall be served in the manner specified in Section 134 of the Air Force Act, 1950.

[File No. Air HQ/25503/5/Lgl(M/F)/2708/US/D (Air-III)]

MRS URMILA SUBBARAO, Director (Air II)

NOTE Principal Rules were published vide SRO No. 310 dated 24th September, 1969, in Gazette of India 1969, Part II, Section 4.

Subsequently amended by :—

(i) SRO No. 358 dated 08th July, 1970

(ii) SRO No 83 dated 19th December, 1974

(iii) SRO No 24-E dated 15th June, 1974

(iv) SRO No 186 dated 02nd July, 1988 and

(v) SRO No 58 dated 20th January, 1986.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991